OK

संख्या–208/रा0आ0का0/एम0आई0एस0/2011

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः 02 फरवरी, 2011

विषयः आपदा राहत सम्बन्धी सूचनाओं को राहत वेबसाइट पर फीड करने विषयक।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 608/1–11–2010–26(जी)/2009 दिनांक 12 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद स्तर पर आपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं की ऑनलाइन फीडिंग कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे तथा फीडिंग व मॉनीटरिंग हेतु वेंडर को आपदा राहत निधि से रू0 4000/– प्रतिमाह का मानदेय अतिरिक्त रूप से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय पत्रांक 134/रा0आ0का0/एम0आई0एस0/2010, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 के द्वारा राहत वेबसाइट पर दैवी आपदा राहत प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण आवश्यक रूप से फीड कराए जाने हेतु निर्देश प्रेषित किए गए थे।

विगत माहों की फीडिंग की समीक्षा करने पर यह संज्ञान में आया है कि अधिकांश जनपदों द्वारा राहत वेबसाइट पर आपदा राहत निधि से मासिक व्यय विवरण के अतिरिक्त अन्य कोई सूचनाएं फीड नहीं की गई है। यह स्थिति बहुत खेदजनक है। सूचनाओं के अभाव में आपदा राहत प्रबन्धन का कार्य प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो पाता है फलस्वरूप शासन की छवि धूमिल होती है।

आपसे अपेक्षा है उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जनपद में संचालन करें ताकि आपदा राहत संबंधी समस्त सूचनाएं ससमय शासन को निर्णय हेतु उपलब्ध हो सकें जिससे दैवी आपदा से प्रभावित जनमानस को राहत उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

3/02/2011

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त